

उत्तर प्रदेश शासन  
वित्त(सामान्य)अनुभाग-3  
संख्या-25/2017/सा-3-472/दस-2017-308/97  
लखनऊ : दिनांक : 08 अगस्त, 2017

### कार्यालय-ज्ञाप/शुद्धि पत्र

वेतन समिति, उत्तर प्रदेश 2008 की संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 01-01-2006 के पूर्व सेवानिवृत्त राज्य सरकार के सिविल पेंशनरों/ पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन /पारिवारिक पेंशन के अभिनवीकरण /पुनरीक्षण विषयक कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-3-1515/दस/2008-308/97, दिनांक 08-12-2008 एवं कार्यालय-ज्ञाप/शुद्धि पत्र संख्या-सा-3-1358/दस-2010, दिनांक 19 जुलाई, 2010 तथा कार्यालय-ज्ञाप/शुद्धि पत्र संख्या-सा-3-1648/दस-2010, दिनांक 12 अक्टूबर, 2010 के अनुक्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त कार्यालय-ज्ञाप/ शुद्धि पत्र क्रमशः दिनांक 19-07-2010 एवं 12-10-2010 के प्रस्तर-2 में वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-वे0आ0-2-13400/दस-59(एम)/2008, दिनांक 08-12-2008 जो त्रुटिवश गलत टंकित हो गया है, के स्थान पर वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-वे0आ0-2-1314/दस-59(एम)/2008, दिनांक 08-12-2008 पढ़ा जाये।

2- शेष कार्यालय-ज्ञाप/शुद्धि पत्र यथावत रहेगा।

अजय अग्रवाल  
सचिव, वित्त।

--2/-

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-25/2017/सा-3-472(1)/दस-2017-308/97, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 3- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 4- सचिव, विधान सभा, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5- इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 6- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 7- निदेशक, पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 8- समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- 9- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 10- उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों के मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी।
- 11- सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 12- निदेशक, वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान, 24/3, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
- 13- सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

आज्ञा से,  
नील रतन कुमार  
विशेष सचिव।